



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

का

सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों

पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए



छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या – 2

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों
पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन क्रमांक 2

विषय सूची		
विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ
प्राककथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय I परिचय		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य शासन के संसाधनों का उपयोग	1.2	1
अनवरत बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	2
योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.5	3
निरीक्षण प्रतिवेदन पर शासन द्वारा प्रतिक्रिया का अभाव	1.6	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.7	4
सार्थक लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिका / समीक्षा) पर शासन की प्रतिक्रिया	1.8	5
स्वायत्र निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्थिति	1.9	5
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूलियां	1.10	6
अध्याय II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
जल संसाधन विभाग		
छत्तीसगढ़ में एनीकटों की आवश्यकता, निर्माण एवं उपयोगिता	2.1	7
स्कूल शिक्षा विभाग		
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का कार्यान्वयन	2.2	35
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	2.3	65
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई—वर्कर्स पर सूचना प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा	2.4	85

अध्याय III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा	3.1	109
लोक निर्माण विभाग		
छत्तीसगढ़ में सेतुओं का निर्माण	3.2	125
पशुधन विकास विभाग		
पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुधन वितरण	3.3	136
कृषि विभाग		
कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि प्रकोष्ठ के निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	3.4	147
लेखापरीक्षा कंडिकाएं		
पर्यटन विभाग		
निष्फल / निर्थक व्यय और आधिक्य भुगतान	3.5.1	156
गृह (पुलिस) विभाग		
निष्क्रिय निवेश	3.5.2	158
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
शासन को हानि	3.5.3	159
लोक निर्माण विभाग		
अनियमित और अतिरिक्त भुगतान	3.5.4	161
जल संसाधन विभाग		
निष्फल व्यय	3.5.5	163
वणिज्य और उद्योग विभाग		
शासन को हानि	3.5.6	165
उद्यानिकी विभाग		
अतिरिक्त सहायता की प्रतिपूर्ति	3.5.7	166

परिशिष्ट		संदर्भ	
परिशिष्ट क्र.	विवरण	कंडिका क्र.	पृष्ठ
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाओं की स्थिति	1.6	169
1.2	निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं का विवरण	1.6	170
2.1.1	कार्ययोजना में अनुमोदित एवं अतिरिक्त स्वीकृत एनीकटों का विवरण	2.1.6.2	173
2.1.2	चयनित अपूर्ण एनीकटों में से पूर्ण एनीकटों का विवरण	2.1.8.1(अ)	174
2.1.3	चयनित एनीकटों में पानी की उपलब्धता का विवरण	2.1.9.1 (अ)	176
2.1.4	चयनित 72 एनीकटों के समीप स्थित कूपों के भू-जल स्तर का विवरण	2.1.9.2	179
2.1.5	अनुपयोगी एनीकटों के निर्माण पर निष्फल व्यय का विवरण	2.1.9.3	182
2.2.1	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण	2.2.1	183
2.2.2	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन का प्रवाह चाट	2.2.2	184
2.2.3	चयनित जिलों, विकास खण्डों तथा विद्यालयों का विवरण	2.2.4	185
2.2.4	लेखापरीक्षा को जानकारी प्रदाय नहीं करने वाले विद्यालयों का विवरण	2.2.4	185
2.2.5	समस्त प्रबंधकीय विद्यालयों में नामांकनों का विवरण	2.2.7.3	186
2.2.6	निजी विद्यालयों में नामांकन का विवरण	2.2.7.3	186
2.2.7	वर्ष 2015–16 में नामांकन के लक्ष्य में कमी का विवरण	2.2.7.3(ब)	187
2.2.8	विद्यालय से बाहर के बालकों का विवरण	2.2.7.5	188
2.2.9	सीडब्ल्यूएसएन बालकों को परिवहन सुविधा का विवरण	2.2.7.6	188
2.2.10	नेत्रहीन बालकों के लिए अनुरक्षण सुविधा का विवरण	2.2.7.6	188
2.2.11	वर्ष 2001–10 के दौरान स्वीकृत कार्यों के अधोसंरचना सुविधा की 31 मार्च 2013 की स्थिति का विवरण	2.2.8.1	189
2.2.12	वर्ष 2010–16 के दौरान स्वीकृत कार्यों के अधोसंरचना सुविधा की 31 मार्च 2016 की स्थिति का विवरण	2.2.8.1	189
2.2.13	शिक्षकों की स्थिति का विवरण	2.2.8.4	190
2.2.14	निजी विद्यालयों को फीस की प्रतिपूर्ति का विवरण	2.2.8.8 (ब)	190
2.2.15	लाभ के आधार पर संचालित विद्यालयों का विवरण	2.2.8.9	190
2.2.16	गणवेश वितरण में अधिक व्यय का विवरण	2.2.10.1	191

2.2.17	गणवेश क्रय में परिहार्य व्यय का विवरण	2.2.10.1	191
2.2.18	पाठ्य पुस्तकों पर व्यय का विवरण	2.2.10.2	191
2.2.19	दस फर्मों को वैट राशि के रूप में किये गये अधिक भुगतान का विवरण	2.2.10.3	192
2.2.20	बिना आपूर्ति के फर्म को किये गये भुगतान का विवरण	2.2.10.3	192
2.3.1	लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जिलों में चयनित पैकेजों की संख्या का विवरण	2.3.5	193
2.3.2	उन्नयन कार्य का नयी संपर्कता पर प्राथमिकता दिये जाने का विवरण	2.3.7.3	194
2.3.3	सड़कों के अधिक चौड़ाई के क्रियान्वयन के कारण ₹ 9.09 करोड़ की अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.7.4	195
2.3.4	नवीनीकरण कार्य क्रियान्वयन में मौजूदा बीटी सतह में एमएसएस के स्थान पर ओजीपीसी और सील कोट करने पर ₹ 2.25 करोड़ का अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.7.6	196
2.3.5	सेतुओं के अभाव के कारण सड़कों पर ₹ 23.29 करोड़ का अनुत्पादक व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.7.7	197
2.3.6	राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा सड़कों के क्रियान्वयन के कारण राज्य सरकार पर ₹ 5.16 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भार दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.8.2	198
2.3.7	कार्यों के पूर्ण होने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.10.1	199
2.3.8	कार्य के क्रियान्वयन में विलंब के कारण ठेकेदारों से ₹ 4.49 करोड़ की शास्ति वसूली नहीं किये जाने का विवरण पत्रक	2.3.10.1	200
2.3.9	लागत के ₹ 21.22 करोड़ से बढ़ जाने का विवरण	2.3.10.2	201
2.3.10	ठेकेदार से वसूल नहीं की गयी परिसमापन क्षति की राशि ₹ 4.99 करोड़ का विवरण	2.3.10.4	202
2.3.11	भौतिक सत्यापन हेतु चयनित सड़कों का विवरण	2.3.10.5 (i)	203
2.3.12	कम संख्या में सीडी कार्य के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण	2.3.10.5 (i)	204
2.3.13	कम लंबाई की सड़कों के क्रियान्वयन का विवरण	2.3.10.5 (ii)	205
2.3.14	एसक्यूएम/एनक्यूएम द्वारा निरीक्षणों के किए जाने में कमी का विवरण	2.3.11.1	206
2.4.1	नॉन-एग्रीमेंटेड देयकों के माध्यम से अनियमित भुगतान किए जाने के कारण राजस्व की हानि संबंधी विवरण	2.4.9.2	207
2.4.2	ई-वर्क्स के अन्यत्र धनादेश मुद्रण के द्वारा गबन का विवरण	2.4.9.3	209

2.4.3	समय विस्तार हेतु अर्थदण्ड गणना संबंधी विवरण	2.4.9.4	214
2.4.4	प्रणाली जनित धनादेश एवं प्रणाली जनित रोकड़बही की राशि में असमानता संबंधी विवरण	2.4.9.6	215
3.1.1	सिविल निर्माण कार्यों की स्थिति का विवरण	3.1.8.2	217
3.1.2	चिकित्सा उपकरणों की कमी का विवरण	3.1.8.3	218
3.1.3	अकार्यशील स्थिति में उपकरणों का विवरण	3.1.8.3	220
3.1.4	चार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संकायों की कमी का विवरण	3.1.9.1	221
3.1.5	नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की कमी का विवरण	3.1.9.2	222
3.1.6	तीन शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में उपकरण/प्रयोगशाला की स्थिति का विवरण	3.1.9.3	223
3.2.1	बदलाव, समय और लागत वृद्धि दर्शाने वाला विवरण	3.2.2.2	224
3.2.2	विभाग द्वारा दोषी ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं किये जाने/विलंब से कार्यवाही किये जाने को दर्शाने वाला विवरण	3.2.2.3	233
3.2.3	सेतु के यातायात मार्ग एवं पहुंच मार्ग के असमान मिलान का विवरण	3.2.3.3	236
3.2.4	ठेकों का अंतिमीकरण नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण	3.2.3.4	237
3.2.5	गलत गणना करने के कारण मूल्यवृद्धि के अधिक भुगतान का विवरण	3.2.3.6	238
3.2.6	प्रशासकीय स्वीकृति के 10 प्रतिशत से अधिक व्यय पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं करने का विवरण	3.2.3.7	239
3.2.7	लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वसूली का विवरण	3.2.5	240
3.3.1	राज्य पोषित डेयरी/नाबार्ड पोषित (डेयरी/बकरी/कुकुट) उद्यमिता विकास योजना में अनुदान का अधिक भुगतान	3.3.3.1	242
3.3.2	नाबार्ड एवं राज्य पोषित डेयरी योजना अंतर्गत हितग्राहियों का विवरण	3.3.3.1	245
3.3.3	सूकर त्रयी योजना में लाभ से वंचित हितग्राहियों का विवरण	3.3.3.2	248
3.3.4	नरसूकर योजना के लाभ से वंचित हुए हितग्राहियों का विवरण	3.3.3.3	249
3.4.1	नमूना जांच किये गये जिलों में विभिन्न योजनार्त्तगत आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण	3.4.3	250
3.4.2	विभिन्न योजना के अंतर्गत राज्य स्तर आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण	3.4.3	251

3.4.3	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदायित जानकारी के उपरान्त नमूना जांच किये गये जिलों में विभिन्न योजनान्तर्गत आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण	3.4.3	252
3.5.1	ठेकेदार को अधिक भुगतान किए गए मूल्य वृद्धि का विवरण	3.5.1	253
3.5.2	सात कार्यों में ठेकेदारों के द्वारा जमा की गई एवं उनसे वसूली योग्य राशि का विवरण पत्रक	3.5.3	254
3.5.3	अक्रियशील औद्योगिक इकाईयों से वसूले न गये अनुदानों का विवरण	3.5.6	255
3.5.4	पावर स्प्रेयर के क्रय में कृषकों को अनुदान के अधिक भुगतान का विवरण	3.5.7	256